राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 130/2016

निर्णय दिनांक : 27.09.2023

बजरंगलाल बनाम चंदगीराम वगै0

1. बजरंगलाल पुत्र स्व. कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम भड़ौंदा कला तहसील व जिला झुंझुनूं

बनाम

——— वादी

1. चन्दगीराम पुत्र स्व. जिसुखराम
2. सुल्तान पुत्र स्व. जिसुखराम
3. रामेश्वर पुत्र स्व. जिसुखराम
4. मोहनलाल पुत्र स्व. रामजीलाल
5. दयानन्द पुत्र स्व. रामजीलाल
6. सुभाष पुत्र स्व. भागीरथ
   समस्त जाति जाट निवासी भैड़ौंदा कला तहसील व जिला झुंझुनूं
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं

——— प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणार्थ व विभाजन</u>

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खेत हाल खसरा नम्बर 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं. 46 रकबा 1.48 है0, खसरा नं. 662 रकबा 0.16 है0 खसरा नं. 663 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 664 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 665 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. 666 रकबा 0.84 है. खसरा ने. 1121 रकबा 1.85 है0, खसरा नं. 1122 रकबा 1.86 है0 व खसरा नं. 1763 रकबा 0.71 कुल किता 10 का कुल क्षेत्रफल 9.07 है0 स्थित है। जमीन जैर बहस में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी 1 लगायत 5 का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा है। समस्त खातेदारान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को विभाजन हेतु कहा तो जमीन जैर बहस का विभाजन करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 27.04.2022 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा अपने पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/1439 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा इस न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये। विभाजन प्रस्ताव शामिल मिसल किये गये। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मवीर मीणा उपस्थित। वकील वादी के निवेदन पर आज बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस वकील वादीगण पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खेत हाल रा नम्बर 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं. 46 रकबा 1.48 है0, खसरा नं. 662 रकबा 0.16 है0 खसरा नं. रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 664 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 665 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. 666 रकबा है. खसरा ने. 1121 रकबा 1.85 है0, खसरा नं. 1122 रकबा 1.86 है0 व खसरा नं. 1763 रकबा 0.71 किता 10 का कुल क्षेत्रफल 9.07 है0 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0 / 2022 / 1439 दिनांक 26.05.2022 के द्वारा भिजवाया विभाजन प्रस्ताव निर्णय / डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। र्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.**

उनवान :– बजरंगलाल बनाम चंदगीराम वगै0

दावा बाबत घोषणार्थ

…ा नं. :– 130/2016

निर्णय दिनांक : 27.09.2023

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मवीर …की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 27.09.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी …नू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता …ग्राम भड़ौंदा कला पटवार हल्का भड़ौंदा कला तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी खेत …खसरा नम्बर 45 रकबा 1.49 है0, खसरा नं. 46 रकबा 1.48 है0, खसरा नं. 662 रकबा 0.16 है0 …रा नं. 663 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 664 रकबा 0.16 है0, खसरा नं. 665 रकबा 0.36 है0, खसरा नं. …रकबा 0.84 है. खसरा ने. 1121 रकबा 1.85 है0, खसरा नं. 1122 रकबा 1.86 है0 व खसरा नं. 1763 …बा 0.71 कुल किता 10 का कुल क्षेत्रफल 9.07 है0 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के …श दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू द्वारा पत्र क्रमांकः भू0अ0/2022/1439 दिनांक 26.05.2022 के …। भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन …। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा …खेल दफ्तर हो।

… निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

…दी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
…टाम्प अर्जी दावा …टाम्प वकालतनामा …हनतनामा वकील …र्चा गवाहान …फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	3 36	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	36
योग	39	योग	36

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner